Order Sheet [Contd]

Registration No.	BA/ 858/2026
Filling No.	BA /4791/2026
CNR No.	MP0801-005988/2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

<u>न्यायालय–षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश गुना, जिला गुना म.प्र.</u>
<u>समक्षः–सुरेश कुमार सूर्यवंशी</u>

प्रतिभूति आवेदन क्रमांक	858/2026
फाईलिंग नंबर	4791/2026
सी.एन.आर. नंबर	MP0801-005988/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा	अपराध क्रमांक–609/2026 एवं धारा 303 (2) बी.एन.एस.
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि	22.07.2026
थाना/आरक्षी केन्द्र का नाम	थाना कैंट जिला–गुना म.प्र.
अभियुक्त का नाम एवं पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड	भानू कोरी आपराधिक रिकॉर्ड निरंक
अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक	02.08.2026
जमानत आवेदन (अनुसंधान लंबित रहने के दौरान/अभियोग पत्र प्रस्तुति के उपरांत) किस प्रक्रम पर प्रस्तुत किया गया है	अभियोग पत्र प्रस्तुति के पूर्व प्रस्तुत किया गया।
अभियोग पत्र प्रस्तुति की दशा में अभियोग पत्र प्रस्तति की दिनांक	निरंक

भानू कोरी पुत्र श्री मथुरालाल कोरी, उम्र–30 वर्ष,
निवासी–ग्राम झमझरा थाना कैंट जिला गुना म.प्र.
———— आवेदक/अभियुक्त

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र कैंट गुना,
जिला गुना (म.प्र.) **————अनावेदक/अभियोजन**

Order Sheet [Contd]

Registration No.	BA/ 858/2026
Filling No.	BA /4791/2026
CNR No.	MP0801-005988/2026

17-08-2026	आवेदक/अभियुक्त भानू कोरी की ओर से अधिवक्ता श्री वीरू चौहान उपस्थित। अनावेदक/मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री सुनील शर्मा उपस्थित। प्रकरण जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है। आरक्षी केन्द्र कैंट, जिला गुना से अपराध क्रमांक–609/2026 केस डायरी मय कैफियत प्रतिवेदन प्रस्तुत। उभयपक्ष को आवेदक/अभियुक्त के प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. पर सुना गया। आवेदक/अभियुक्त की ओर से अनिल कोरी पुत्र श्री मथुरालाल कोरी, उम्र–32 वर्ष, निवासी–ग्राम झमझरा थाना कैंट जिला गुना म.प्र. का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उसका भाई है। आवेदक का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होकर लंबित नहीं है और न ही निराकृत हुआ है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने मामले के गुण दोष पर तर्क करते हुए कहा है कि पुलिस थाना कैंट गुना के द्वारा असत्य आधारों पर आवेदक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक निर्दोष है, उसको रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। आवेदक को उक्त अपराध की कथित कोई जानकारी नहीं हैं आवेदक मजदूरी पेशा व्यक्ति है। आवेदक के अलावा उसके परिवार में कोई वयस्क व्यक्ति कमाने एवं मजदूरी कार्य करने वाला नहीं है यदि अधिक समय तक निरोध में रखा गया तो उसके परिवार पर भारी आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा। आवेदक से कोई जप्ती होना शेष नहीं है तथा अनुसंधान लगभग पूर्ण हो चुका है। अनुसंधान में आवेदक की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रकरण के आरोपी बंटी उर्फ रामबाबू की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक का उक्त अपराध सहआरोपी बंटी उर्फ रामबाबू से निम्न श्रेणी का है। आवेदक की चल, अचल संपत्ति भी ग्राम झमझरा थाना कैंट जिला गुना में स्थित है इसलिए उसके भागने व फरार होने एवं साक्ष्य को प्रभावित कोई की कोई संभावना नहीं है। आवेदक गरीब है और उसके परिवार में बृद्ध माता–पिता व पत्नि सहित	

Order Sheet [Contd]

Registration No.	BA/ 858/2026
Filling No.	BA /4791/2026
CNR No.	MP0801-005988/2026

दो संतान है जिनके लालन एवं पालन की जिम्मेदारी आवेदक पर है यदि आवेदक को अत्याधिक दिन तक जेल में रख गया तो उनके भरण–पोषण तथा जीवन पर संकट उत्पन्न हो जायेगा। अतः आवेदक का आवेदन स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

अपर लोक अभियोजक श्री सुनील शर्मा ने अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुये कहा अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया है।

पुलिस थाना कैंट जिला गुना से प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि दिनांक 22.07.2026 को फरियादी एस. श्रीकृष्णन ने मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि एल.एन.टी लिमिटेड कंपनी का जिला गुना में आफिस होकर वह कंपनी अकाउंट्स मैंनेजर के पद पर पदस्थ है। जल निगम राजघाट परियोजना के अंतर्गत एल.एन.टी कंपनी का पाईप लाईन बिछाने का काम चल रहा था, जिसके कार्य हेतु जगह–जगह पर अलग–अलग डाईमीटर के पाईप रखे हुये है वही पाईप ग्राम झमझरा व बरखेडा ठेकनी रोड के पास खाली जमीन पर रखे हुये थे जिनमें 600–के–7 डाईमीटर के 64 पाईप, 450–के–7 डाईमीटर के 24 पाईप, 700–के–7 डाईमीटर का 01 पाईप तथा 600–के–9 डाईमीटर के 05 पाईप, कुल 94 पाईप डले हुये थे। दिनांक 26.05.2026 को दोपहर करीबन 12 बजे उन्होंने उक्त पाईप वहां पर रखे थे परंतु दिनांक 29.05.2026 को दोपहर करीबन 03 बजे जब वह व उसका स्टाफ वापस ग्राम झमझरा व बरखेडा ठेकनी रोड के पास गये तो उक्त डक्टाईल आयरन पाईप वहां पर नहीं थे कोई अज्ञात चोर, चोरी कर ले गया था। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना कैंट जिला गुना में अपराध क्रमांक–609/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया।

अपराध की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया तथा फरियादी व साक्षी के लिये गये अपराध में माल मुज्जिम की तलाश के दौरान मुखबिर सूचना पर से संदेहीगण बंटी उर्फ रामबाबू, भानू कोरी को तलब कर पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर धारा 23(2) बीएनएस के अंतर्गत मेमो लिये गये। आरोपियों को विधिवत

Order Sheet [Contd]

Registration No.	BA/ 858/2026
Filling No.	BA /4791/2026
CNR No.	MP0801-005988/2026

गिरफ्तार कर उक्त आरोपियों का 01 दिन का पीआर लिया गया। आरोपी बंटी उर्फ रामबाबू से 02 बडे वाले डीआई पाईप एवं आरोपी भानू कोरी से घटना में प्रयुक्त ट्रेक्टर हॉलेंड ट्रेक्टर एमपी08 जेडएफ 1294 मय बजन उठाने वाली क्रेन के जप्त किया गया। दिनांक 04.08.2026 को पीआर शुदा आरोपियों को जेआर पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा न्यायिक निरोध में भेजा गया दिनांक 08.08.2026 को मेमो के आधार पर आरोपी राजीव मिश्रा एवं संदेही गजेन्द्र उर्फ गजानंद कुशवाह को तलब किया गया जिन्होंने घटना कारित किया जाना स्वीकार किया। आरोपी राजीव मिश्रा द्वारा चोरी किये गये 94 पाईपों में से 20 पाइप पेश करने पर जप्त किये गये एवं आरोपी गजेन्द्र द्वारा घटना में प्रयुक्त काले रंग की हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी33 जेडएफ 1294 पेश करने पर जप्त की गई। आरोपी राजीव मिश्रा का पाईप बरामदगी हेतु दिनांक 14.08.2026 तक का पीआर लिया गया एवं आरोपी गजेन्द्र का जेआर पर पेश किया जिसे न्यायालय द्वारा न्यायिक निरोध में भेजा गया। आरोपी राजीव मिश्रा की निशादेही पर रोजकोट में आरोपी धर्मराज उर्फ अश्विन गुजरिया की तलाश की गई तो कोई पता नहीं चला। दिनांक 14.08.2026 को आरोपी राजीव मिश्रा को जेआर पर न्यायालय में पेश किया जिसका दिनांक 22.08.2026 तका का जेअर स्वीकृत कर आरोपी राजीव मिश्रा को न्यायिक निरोध मं भेजा गया अपराध की अग्रिम विवेचना जारी है।

प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारण योग्य है। प्रकरण में विवेचना लगभग पूर्ण हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 02.08.2026 से अभिरक्षा में है। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रकरण के विचारण एवं निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण के गुण दोषों पर कोई टीका टिप्पणी किये बिना यह न्यायालय आवेदक/अभियुक्त को कठोर शर्तों पर नियमित प्रतिभूति का लाभ देना उचित समझता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त भानू कोरी द्वारा प्रस्तुत नियमित प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य

Order Sheet [Contd]

Registration No.	BA/ 858/2026
Filling No.	BA /4791/2026
CNR No.	MP0801-005988/2026

20,000/– (बीस हजार रूपये) की सक्षम प्रतिभूति एवं 20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे प्रतिभूति पर इस शर्त पर रिहा किया जावे कि वह प्रत्येक पेशी तारीखों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनुसंधान एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा एवं न्यायालय की अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जावेगा एवं साक्षियों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

आदेश की प्रति संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला गुना के न्यायालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे एवं एक प्रति के साथ संबंधित थाने की केस डायरी वापस हो।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार में जमा हो।

सही/–

(सुरेश कुमार सूर्यवंशी)
षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश,
गुना (म.प्र.)

SURESH KUMAR SURYAVANSHI

Digitally signed by SURESH KUMAR SURYAVANSHI
Date: 2026.08.17 16:11:13 +0530